



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012021-224264
CG-DL-E-07012021-224264

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2020/पौष 17, 1942

No. 62]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2020/PAUSHA 17, 1942

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2021,

का.आ. 63(अ).— यतः केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सूचना सं का आ, 394 (अ) तारीख 28 मई 1999 के द्वारा उत्तर प्रदेश में राजस्थान में पिडंवारा के निकट रा. रा. सं. 14 के साथ अपने संधि स्थल से प्रारंभ होकर उदयपुर, मांगरवाड, चितौडगढ़, कोटा (रा. रा. सं. 12), शिवपुरी (रा. रा. सं. 3), झांसी (रा. रा. सं. 25), महोबा, बांदा, करवी, मउ, होते हुए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के रा. रा. सं. 27 के साथ अपने संधि स्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग को नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य का भाग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सौंपा है।

अतः अब राष्ट्रीय राजमार्ग (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें पश्चात् नियम कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 डिजाइन कि.मी. 92.025 से 133.500 (वर्तमान कि.मी. 89.600 से 133.520) (हरपालपुर-मुगिरा रोड सेक्शन) तक के खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका 1 के कालम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 41.256 कि०मी० दो लेन/पेव्ड शोल्डर सहित निवल सड़क खण्ड लम्बाई तथा स्ट्रेक्चर की समुत्पल्य लम्बाई 2.19 कि.मी. (0.219 किमी० की संरचना जिसकी लम्बाई 60 मी० से

अधिक है) के लिए तालिका 1 के कालम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के लिए 60% की दर पर यांत्रिक वाहन से फ़ीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फ़ीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन के प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति कि.मी. आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यक वाहन माल, वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहुधुरीय (एमएवी) (4 से 6 धुरी वाले)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संग्रहीत की जाने वाली फ़ीस ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क लंबाई हेतु पथकर प्लाजा पर देय और संदेह होगी, अर्थात्:-

तालिका -2		
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क सदेय है	दर जिस पर फीस सदेय है।
राष्ट्रीय राजमार्ग – 76 पर महोबा जिले में बमहोरी कुर्मी गांव के निकट डिजाइन चैनेज 104.600	41.256	ऊपर तालिका - 1 में उल्लिखित आधार दरों का पेब्ड शोल्डर सहित 2-लेन के लिए 60 प्रतिशत

2. उपयुक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फ़ीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका -3			
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	समतुल्य सड़क लम्बाई में परिवर्तित किये जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (कि.मी. में)	समतुल्य सड़क लम्बाई (कि.मी. में)	दर, जिस पर फीस सदेय है।
राष्ट्रीय राजमार्ग – 76 पर महोबा जिले में बमहोरी कुर्मी गांव के निकट डिजाइन चैनेज 104.600	0.219	2.190	ऊपर तालिका - 1 में उल्लिखित आधार दरों का पेब्ड शोल्डर सहित 2-लेन के लिए 60 प्रतिशत

संरचनाओ (>60 मीटर लंबाई) का व्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लम्बाई (कि.मी.)
	चैनेज शुरू किमी से	चैनेज समाप्त किमी तक		
1.	108.145	108.213	मुख्य पुल	0.068
2.	117.122	117.212	मुख्य पुल	0.090
3.	123.658	123.719	मुख्य पुल	0.061
	कुल लम्बाई			0.219

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से 20 कि०मी० तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00 रुपये (दो सौ पचहत्तर रुपए मात्र) होगी और यह नियमावली के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खंड पर बहुयात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
संदेय राशि	अनुमत एक तरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घण्टे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को नियम - 10 के उपनियम 1 ए में विनिर्दिष्ट के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तक तक अनुमति नहीं होगी, जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जायें।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होगी।

8. उक्त नियमों के नियम - 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जायेगा।

9. ऊपर सारिणी - 1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-2008 के लिए प्रति कि०मी० शुल्क की आधार दर के आधार दर पर यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खण्ड की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी, उक्त नियमों के नियम-5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा तथा उसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जायेगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत रु. 208.50 करोड़ है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जनयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किये जाने हैं। अंतिम पूंजीगत लागत अलग से अधिसूचित की जायेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वसूल किये गये प्रयोक्ताशुल्क के जरिये पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जायेगा। और पूंजीगत लागत की वसूली के बाद लगाये जाने शुल्क की दरों को 40 प्रतिशत कर दिया जायेगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा।

[फा.सं.एन.एच.-12014/13/2015/यू.पी./जोन-1]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2021

S.O. 63(E)—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 394 (E), the 28th May, 1999, issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has declared the stretch of the highway starting from its junction with NH No. 14 near Pindwara in Rajasthan and connecting Udaipur, Mangarwar, Chittaurgarh, Kota (NH No. 12), Shivpuri (NH No. 3), Jhansi (NH No.25), Mahoba, Banda, Karwi, Mau and terminating at its junction with NH No. 27 near Allahabad in Uttar Pradesh as NH-76 and entrusted the Uttar Pradesh portion of NH-76 to the State Government of Uttar Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “Rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 41.256 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 2.19 Km (having length of Major Bridges 0.219 km) on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below of two lane with paved shoulders Harpalpur-Sugira section from design Km 92.025 to 133.500 (existing km 89.600 to 133.520) on the National Highways No. 76 in the state of Uttar Pradesh and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plazas for the net road length specified for such Fee Plaza, namely :-

Table 2			
S No	Location of Fee Plazas (Chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
1	Km 104.600 (Design Chainage) of NH-76 (Village Bamhori Kurmi, Distt. Mahoba) of Uttar Pradesh	41.256	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table- 1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of the structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10 at the base rate mentioned in Table-1 above: -

Table 3			
Location of Fee Plazas (Chainage)	Length of Structure (in Km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road Length (in Km)	Rate at which the fee is payable
Km 104.600 (Design Chainage) of NH-76 (Village Bamhori Kurmi, Distt. Mahoba) of Uttar Pradesh	0.219	2.190	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table- 1 above
	Total	2.190	

The details are as under:-

Sl. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
	From Km	To Km		
1	108.145	108.213	Major Bridge	0.068
2	117.122	117.212	Major Bridge	0.090
3	123.658	123.719	Major Bridge	0.061
			Total Length	0.219

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 275.00 (Rupees two hundred & seventy five only) for the year 2020-21, and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table 4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permits) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the

fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highways section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rs. 208.50 Cr. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately.] The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee livable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NH-12014/13/2015/UP/Zone-I]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.